

## पुरक टिप्पणी

नीति निर्धारण समिति द्वारा (बैठक संख्या 191 दिनांक 19.09.2013) बीसलपुर परियोजना से जगतपुरा क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति योजना से लाभान्वित किये जाने की प्रथम चरण योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि 152.01 करोड जारी की गई । उक्त परियोजना के कार्यों को तीन पैकेजों में विभाजित किया गया । योजना के प्रथम पैकेज के अन्तर्गत जवाहर सर्किल पम्प हाउस पर 3 स्थापित पम्पों को बदल कर जगतपुरा एवं खो-नागोरियान क्षेत्र की पेयजल मांग का समावेश करते हुये डिजाईन के अनुसार आवश्यक क्षमता के नये पम्प स्थापित किये जाने का कार्य कराया जाना स्वीकृत किया गया । इस प्रकार बीसलपुर परियोजना से जगतपुरा-गैटोर क्षेत्र, खो-नागोरियान क्षेत्र तथा जगतपुरा-महल रोड के आपस-पास के क्षेत्रों की पेयजल आपूर्ति हेतु जवाहर सर्किल पम्प हाउस पर पूर्व में मात्र गैटोर-जगतपुरा क्षेत्र की मांग के अनुरूप स्थापित क्षमता के पम्पों के स्थान पर सम्मिलित मांग के अनुरूप आवश्यक क्षमता के पम्प लगाये जाने का कार्यादेश राशि रू0 2,36,54,716.00 दिनांक 31.07.2014 को जारी किया गया । उक्त कार्य दिनांक 20.04.2016 को पूर्ण किया जा चुका है तथा पैकेज के अन्तर्गत राशि रू0 2,12,42,829.54 का कार्य कराया गया है ।

उक्त कार्य की निविदा शर्तों के अनुसार स्थापित किये गये पम्पों की दोष उत्तरदायित्व कार्य समाप्ति के दिनांक से 12 माह निर्धारित की गई है । वर्तमान में उक्त पम्पों से औसतन 11.50 एम. एल. जल प्रति दिन लिया जा रहा है ।

जवाहर सर्किल पम्प हाउस से गैटोर क्षेत्र, जगतपुरा क्षेत्र तथा खो-नागोरियान आदि क्षेत्रों में बीसलपुर योजना से प्राप्त पेयजल का सुचारु परिवहन किये जाने हेतु मुख्य परिवहन पाईप लाईन वर्ष 2009 में बिछायी जा कर कमिश्निंग की जा चुकी है तथा वर्ष 2009 से ही गैटोर-जगतपुरा पम्प हाउस से पेयजल आपूर्ति की जा रही है । इसी पाईप लाईन को खो-नागोरियान क्षेत्र तक बीसलपुर पेयजल के परिवहन हेतु प्रयोग में लिया जा रहा है । गैटोर क्षेत्र में पेयजल सप्लाई हेतु वितरण तन्त्र 2009 से पूर्व ही संचालित है तथा खो-नागोरियान क्षेत्र में पेयजल वितरण तन्त्र की प्रथम चरण की परियोजना का कार्यादेश माह अक्टूबर, 2013 में जारी किया जाकर कार्य को माह मार्च, 2016 में पूर्ण किया जा चुका है । जगतपुरा क्षेत्र में प्रस्तावित पम्प हाउसों तथा उच्च जलाशयों तक बीसलपुर जल के परिवहन हेतु बिछायी जाने वाली मुख्य एवं राइजिंग पाईप लाईनों के कार्यों की निविदायें उक्त पैकेज-1 के साथ माह जनवरी, 2014 में प्राप्त कर ली गयी थी परन्तु दरें अधिक प्राप्त होने के कारण विभाग द्वारा माह अगस्त, 2014 में कार्य हेतु पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने का निर्णय किया गया । माह अक्टूबर, 2014 में उक्त कार्यों हेतु पुनः निविदा प्राप्त कर ली गयी थी परन्तु प्रतिस्पर्धी संवेदक द्वारा माह फरवरी, 2015 में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किये जाने के कारण प्रकरण में प्राप्त निविदाओं पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका । वर्तमान में उक्त कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित किया जाना प्रक्रियाधीन है ।

उक्त कार्य की स्वीकृति तथा पम्पों की स्थापनाका कार्य विभागीय प्रक्रिया तथा नियमों की पालना करते हुये किया गया है ।



अधिशर्षी अभियन्ता

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग  
परियोजना खण्ड-प्रथम(दक्षिण), जयपुर